



उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-43/2023/2412/77-6-2023-6002(099)/7/2021पार्ट-3

लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2023

संशोधन/शुद्धि-पत्र

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 02 इकाईयों के लिए धनराशि ₹0 5,43,89,751.00 की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-31/2023/1326/77-6-2023/6002(099)/7/2021पार्ट-3 दिनांक 13 जून, 2023 को निर्गत किया गया है। अतः उक्त शासनोदश के प्रस्तर-2 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थान पर त्रुटिवश चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 अंकित हो गया है।

2- अतः शासनादेश संख्या-31/2023/1326/77-6-2023/6002(099)/7/2021पार्ट-3 दिनांक 13 जून, 2023 में अंकित चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 को "चालू वित्तीय वर्ष 2023-24" पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या-31/2023/1326/77-6-2023/6002(099)/7/2021पार्ट-3 दिनांक 13 जून, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

(जय वीर सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2023/2412/77-6-2023-6002(099)/7/2021पार्ट-3तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10- नियोजन अनुभाग-1/4
- 11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय वीर सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।